इकाई 8 अरबी - इस्लामी राजनीतिक परम्पराएँ

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 इस्लामी राजतंत्र का विकास
8.2.1 इस्लामी राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
8.3 खिलाफ़त की संस्था
8.3.1 खलीफ़ा की योग्ताएँ
8.4 पुरुषों का प्राधिकार
8.4.1 खलीफ़ा के चुनाव के लिए क्रियाविधि
8.4.2 एक समय में एक खलीफ़ा
8.4.3 खलीफ़ा के प्रति निष्ठा
8.5 सारांश
8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई में आपको इस्लामी राजतंत्र की धारणा से परिचित कराया गया है। इससे गुज़रने के बाद आप निम्नलिखित को समझाने की स्थिति में हो जाएँगे :

- इस्लामी राजतंत्र का स्वरूप;
- इस्लामी राजतंत्र का विकास;
- इसकी विफलता के कारण; और
- मुलुकियत का उत्थान।

8.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम निम्न प्रश्नों पर विचार करेंगे :

1) इस्लामी राजतंत्र किस प्रकार अस्तित्व में आया?

2) वे क्या परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण इसे स्वीकृति और लोकप्रियता प्राप्त हुई?

8.2 इस्लामी राजतंत्र का विकास

राज्य के लिए राजतंत्र का नियोजन आवश्यक है। 622 ईसवी में मदीना में इस्लामी राज्य के गठन के बाद इसका मूल्यांकन आरंभ किया गया था। यह कुरान के इस उदाहरण पर आधारित है– ''खुदा का हुक्म माने, पैगम्बर और आपके अन्दर मौज़ूद उसकी सत्ता का हुक्म माने''।

8.2.1 इस्लामी राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उदाहरण के तौर पर, आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि इस्लामी राजतंत्र से पहले अरब में जनजातीय राजतंत्र था। इस्लामी राजतंत्र से पूर्व व्यवस्था में विभिन्न वंश के मुखियाओं द्वारा निर्वाचित शेख अथवा सैयद उनका अध्यक्ष होता था। 622 ईसवी में मदीना में इस्लामी राज्य के गठन के बाद, इस्लामी राजतंत्र लागू हुआ। इस्लामी राजतंत्र में, राज्य और धर्म इतनी निकटता से जुड़े हुए हैं कि इन क्षेत्रों को पृथक करना बहुत मुश्किल है। तथापि, धर्म का हमेशा वर्चस्व बना रहा। इस्लाम में, यह दोनों शक्तियाँ पैगबर मोहम्मद को दी गयीं थीं। उन्हें राज्य का प्रमुख तथा धर्म का नेता घोषित किया गया था। इस्लाम के अनुसार, इसके नियम और विनियम शासक और शासित द्वारा अनुपालन करने पड़ते थे। शासक को कोई विशेष अधिकार नहीं थे।

8.3 खिलाफ़त की संस्था

632 ईसवी में पैगबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, खिताफ़त सत्ता में आया। खिलाफ़त का शाब्दिक अर्थ है, किसी पूर्व अधिकारी व्यष्टि अथवा ग्रुप (कौम) का उत्तराधिकार अथवा उस प्रयोजनार्थ विभिन्न पैगम्बरों के लिए कुरान में सामान्य अर्थ में यथा प्रयुक्त पूर्ववर्ती शासक का उत्तराधिकार। तकनीकी रूप से खिलाफ़त ने कुरान और सुन्नाह, जिसने पैगम्बर मुहम्मद की मौत के बाद जनता (उम्माह) के कार्यों की देखभाल करने और शरियत का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म का प्रवर्तन किया, के आधार पर शासन की इस्लामी संस्था के गूणार्थ को ग्रहण किया। सूरा (परिषद) और इजमा (सहमति) के दो सिद्धांतों के आधार पर, मुस्लिमों ने 632 ईसवी में पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बकर को पहले खलीफा के रूप में चुना।

634 ईसवी में अबू बकर की मृत्यु के बाद, उमर को खलीफा के रूप में निर्वाचित किया गया। 645 ईसवी में उमर के देहान्त के बाद उस्मान को निर्वाचित किया गया और तत्पश्चात् 654 ईसवी में उस्मान की मृत्यु होने पर अली को खलीफा के रूप में चुना गया और वह 661 ईसवी में अपनी हत्या होने तक खलीफा बने रहे। अली के देहान्त के बाद खिलाफत संस्था का अंत हो गया।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) सही (हाँ) अथवा गलत के लिए (नहीं) अंकित करें।

i) पूर्व इस्लामी राजतंत्र स्वरूप में लोकतांत्रिक था।

ii) इस्लामी में धर्म और राजतंत्र एक अथवा वही हैं।

iii) अबू बकर खुदा का खलीफा था।

iv) खिलाफत 630 ईसवी से आरम्भ हुआ।

2) इस्लामी राजतंत्र के स्वरूप पर लगभग पाँच वाक्य लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3.1 खलीफ़ा की योग्ताएँ

योग्ताओं के मुद्दें पर, इसना आशारिस के अलावा लगभग सभी मुस्लिम विचारक एकमत हैं ; अन्तर मात्र विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा निर्धारित शर्तों की संख्या में हो सकता है। उदाहरणार्थ, मवार्डी ने सात शर्तें अवधारित की हैं, जबकि ईब्न खालादून उन्हें घटाकर पाँच रखते हैं। ग़ज्जाली कुछ आशोधनों के साथ उन्हीं योग्ताओं को प्रस्तुत करते हैं। उनमें अधिकांश ने इस्लामी शरिया का ज्ञान, शरीर और दिमाग की स्वस्थता, एक न्यायप्रिय चरित्र और कुरैशियन वंशानुगता (descent) को निर्धारित किया है! खलीफा की योग्ताएँ निम्नवत् हैं :

1) खलीफा मुस्लिम होना चाहिए।

2) उसे सौम्य तथा प्रौढ़ होना चाहिए।

3) उसे पुरुष होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र पुरुष ही राजकाज की भारी जिम्मेदारियों को वहन कर सकता है।

4) वह एक स्वतंत्र पुरुष होना चाहिए न कि एक दास जो अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रता से निर्वाह नहीं कर सकता है।

5) वह शारीरिक और मानसिक दोषों से मुक्त होना चाहिए।

6) वह इस्लाम के निर्धारित दंडों को लागू करने तथा इस्लामी राज्य की रक्षा करने और राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम और बहादुर होना चाहिए।

7) खलीफा के लिए न्याय एक महान पूर्वापेक्षा है।

8) उसके लिए इस्लाम का ज्ञान और उसके व्यावहारिक निहितार्थ भी आवश्यक हैं, क्योंकि इस जानकारी के बिना वह इस्लामी संकल्पनाओं और प्रथाओं के अनुसार राज्य को नहीं चला सकता है। खलीफा के कार्यालय में ग़ैर-कुरैशी का चुनाव इसे निष्प्रभावी कर देता था। इसी प्रकार, शाहरस्तानी ने भी निर्णय दिया है कि इमाम कुरैशी की जाति से जुड़ा होना चाहिए। इब्न खालादून की इस मुद्दे को लेकर चर्चा और दलीलें सम्पूर्ण परिदृश्य को इसके उचित परिप्रेक्ष्य में पेश करती हैं। इमाम हनवल के अनुसार बताया गया है, ''जब अमीर (नेता) के चुनाव का प्रश्न उठता है और हमें एक अनुभवहीन पवित्र पुरुष अथवा कम पवित्र परन्तु राजकाज में अधिक अनुभवी पुरुष के बीच चुनाव करना पड़े तो कम पवित्र और अधिक अनुभवी पुरुष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।'' इमाम हनबल ने पैगम्बर के एक हदीस (कुरान का कथन) के द्वारा इस मत का समर्थन किया है। पैगम्बर मुहम्मद के उन साथियों को कोई प्रशासनिक स्थिति प्रदान नहीं की गई, जो अपनी पवित्रता के लिए उल्लेखनीय थे, परन्तु उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। अबूज़ार ने जो पैगम्बर से कहा, के बारे में मुस्लिम कहता है, ''ठीक है आप मुझे एक सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त नहीं करेंगे?''. पैगम्बर ने कहा, ''अबूज़ार, तुम कमज़ोर हो और प्राधिकार एक न्यास (trust) है.'' अबूज़ार वास्तव में बहुत ही पवित्र और खुदा से डरने वाला पैगम्बर को साथी था। यह चर्चा करने योग्य है कि खरीजित खलीफा के कार्यालय को सभी मुस्लिमों के लिए खोलते हैं।

8.4 पुरुषों का प्राधिकार

यहाँ एक अन्य कुरानी उद्धरण का हवाला देना अधिक उचित होगा जो शासन में पुरुष के प्राधिकार के संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण है। पैगम्बर के एक हदीस में घोषणा भी की गई है कि इस्लामी राज्य में जिम्मेदारियों के पद महिलाओं को नहीं सौंपे जाने चाहिए।

8.4.1 खलीफ़ा के चुनाव के लिए क्रियाविधि

कुरान और सुन्नाह में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ खलीफा के निर्वाचन का एक विशिष्ट तरीका उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके कार्य स्वयं उन्हीं के बीच परिषद् द्वारा तय किए जाते हैं। यह परामर्श होता है न कि नेता चुनने के लिए एक निश्चित और निर्णायक क्रियाविधि। अधिकांश मुस्लिम राजनीतिक विचारक खलीफा का चुनाव बयात (निष्ठा की शपथ) द्वारा करने पर बल देते हैं। उनमें जो खलीफाई का पात्र हैं, उन्हें निम्न के द्वारा खलीफाई के लिए चुना जाए :

1) पैगम्बर के पदनाम द्वारा;

2) शासक प्राधिकारी के पदनाम द्वारा; और

3) वास्तविक सत्ताधारक के पदनाम द्वारा।

8.4.2 एक समय में एक खलीफ़ा

इस्लामी नीति में खलीफा मात्र एक खलीफा हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर पैगम्बर की स्पष्ट परम्पराएँ हैं। पैगम्बर की मृत्यु के बाद 632 ईसवी में बानी सैदाह के सकूफा में आयोजित बैठक भी इस मुद्दे पर सहायता करती है। उस बैठक में अन्सरों (सहायकों) द्वारा यह माँग उठाई गई थी कि खलीफा के रूप में एक अमीर अन्सरों से तथा दूसरा अमीर मुहाजिरों (प्रवासियों) से चुना जाए, परन्तु वहाँ विद्यमान मुस्लिमों द्वारा इस माँग का अनुमोदन नहीं किया गया।

8.4.3 खलीफा के प्रति निष्ठा

इस्लामी कथाओं और प्रथाओं में खलीफा और उसकी सरकार के प्रति निष्ठा को इस्लामी राज्य के सभी नागरिकों का धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। परन्तु यह निष्ठा सीमित और सशर्त है, क्योंकि यह केवल अच्छाई में अनिवार्य है, जिसे शरियत के आदेश की पूर्ण संस्वीकृति के रूप में माना गया है। जब तक खलीफा और इमाम सामान्यतः इस्लाम के मूल्यों का समर्थन करता है और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को नहीं छोड़ता है, उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। सुराह अलनिसा, कुरान का छंद 59, अपने अनुयायियों को प्राधिकारी की आज्ञा मानने के लिए निम्न शब्दों में आदेश देता है, ''जो हम पर विश्वास करता है, अल्लाह का हुक्म पालन करे और पैगम्बर और आपके अन्दर उसकी सत्ता का हुक्म माने। यदि आपके अपने अन्दर विद्यमान किसी वस्तु के बारे में मतभेद है, तो उसे अल्लाह अथवा उसके पैगम्बर से कहो....'' सत्ताधीन आदमी में निष्ठा अल्लाह और उसके पैगम्बर में निष्ठा की मातहत है। जब तक शासक अल्लाह और उसके पैगम्बर का आदेश मानते हैं, तब तक उनका हुक्म पूरा करना मुस्लिमों का कर्तव्य है, परन्तु जब वे अल्लाह और पैगम्बर की अवज्ञा करते हैं, तब मुस्लिम उनकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं रह जाते। कुरानी दृष्टिकोणों को पैगम्बर के उन कई कथनों से बल मिलता है जिनमें मुस्लिमों को उस शासक के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और उसके पैगम्बर के आदेश के विरुद्ध है।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) खिलाफत से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) खलीफा होने के लिए कुछ योग्ताओं का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3) खलीफा के प्रति निष्ठा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 सारांश

इस इकाई में आपने मौलिक इस्लामी राजनीतिक परम्पराओं के बारे में पढ़ा है। इस्लामिक नीति के विकास के बारे में आपको समझा दिया गया है। खिलाफत की संस्था जो पैगम्बर मुहम्मद के बाद अस्तित्व में आयी, पर इस इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है। आपने खलीफा बनने के लिए योग्ताओं, उसके चुनाव और उसके प्रति निष्ठा के बारे में पढ़ा है। आशा की जाती है कि अब आपको अरबी-इस्लामी राजनीतिक परम्पराओं की मूलभूत बातों की कुछ समझ हो गयी होगी।

8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

ऑर्नल्ड, सर थॉमस डब्ल्यू., द *कैलीफेट*, लंदन, 1884

बक्शी, खुदा एस., *पॉलिटिक्स इन इस्लाम*, कोलकाता, 1920

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) नहीं ii) हाँ iii) हाँ iv) नहीं

2) देखें भाग 8.2

बोध प्रश्न 2

1) देखें भाग 8.3

2) देखें उप-भाग 8.3.1

3) देखें उप-भाग 8.4.3